Dated 21/06/2021

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Sub: Original Application Number 47/2021
Manmohan Sharma Vs. State of U.P.

Sir,

The abovenoted matter came up for hearing on 02.03:2021 when this Hon'ble Court directed as follows:

> "In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law. The State PCB will be nodal agency for compliance and coordination. An action taken report may be filed in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.
>
> The applicant may serve a set of papers on the State PCB, the CCF, Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, U.P. and file an affidavit of service within one week."

True copy of the order is being enclosed as Annexure-1.

2. It is submitted that Khasra No. 2214/1 on which brick kiln is situated is Minjumla No. wherein the name of owners of brick kiln were recorded alongwith the name of Forest Department. The land has not been demarcated as to which part belongs to the Forest Department and which part is with the owners as it is very large chunk of land. Hence the U.P. Pollution Control Board on 10.06.2020 has granted conditional consent to the said brick kiln under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 from 01.08.2020 to 31.07.2023 subject to condition that if during consolidation it is found that said plot No. 2214/1 is included in the Forest land the consent automatically come to an end and the owner will dismantle the brick kiln and inform the Board.

3. In compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal a meeting in the Chairmanship of Additional District Magistrate, F&R, Sant Kabir Nagar with District Divisional Forest Officer, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board,

Basti and Additional Chief Officer, District Panchayat was held on 15.03.2021 wherein it was decided that the conditional consent granted by the Board is not proper as no objection has not been given by Forest Department for operation of brick kiln. It was further decided that as consolidation operations are going on in village Jungal Belhar, hence Settlement Officer, Consolidation should constitute a team regarding double entries and take further action to preserve the forest land. Copy of minutes of said meeting held on 15.03.2021 is being enclosed as Annexure-2.

4. Brick kiln owners have filed a case before Assistant Consolidation Officer, Mahdawan, Sant Kabir Nagar for settling the dispute about their land or to send it to Consolidation Officer for adjudication. True copy of the said application is enclosed as Annexure-3.

5. Thereafter, Chief Conservator of Forest, East Zone, U.P. Gorakhpur vide letter No. 2754 dated 17.05.2021 submitted a report to this Hon'ble Tribunal. Copy of the same is enclosed as Annexure-4.

6. Divisional Forest Officer, Sant Kabir Nagar Forest Division, Sant Kabir Nagar vide letter No. 2422/331 dated 17.05.2021 asked the Regional Office, U.P. Pollution Control Board to take further action pursuant to order dated 02.03.2021 passed this Hon'ble Tribunal. Copy of the said is enclosed as Annexure-5.

On the same day letter No. 2999/10-1 Basti dated 17.05.2021 was received from the office of Conservator of Forest, Basti Circle, Basti wherein it was mentioned that considering the letter of Divisional Forest Officer as well as minutes of meeting dated 15.03.2021 further action be taken at the level of Regional Office, U.P. Pollution Control Board.

7. The CTO under the Air Act, 1981 granted to M/s. S.N. Brick Field (Old Name Rai Brick Field), Village Jungle Belhar dated 10.06.2020 has been revoked vide letter No. 57/C-192Water/Air, Sant Kabir Nagar 20-21 dated 19.05.2021 and the CTO under Water Act, 1974 to the said brick kiln granted on 10.06.2020 has been revoked vide letter No. 58/C-192Water/Air/Sant Kabir Nagar 20-21 dated 19.05.2021. True copies of said letters are enclosed as Annexure-6 and 7.

8. District Magistrate, Sant Kabir Nagar vide letter No. 119(4)/Khanan Sahayak dated 24.05.2021 directed the inspection of the brick kiln to ensure that the same be not operational. True copy of the said letter is enclosed as Annexure-8.

9. In compliance of the letter dated 24.05.2021 of District Magistrate, Sant Kabir Nagar, joint inspection of the said brick kiln was conducted by UPPCB and Naib

Tehsildar, Mehdawal, Sant Kabir Nagar on 02.06.2021 wherein brick kiln was found not in operation. The report is enclosed as Annexure-9.

10. Brick Kiln owner's have filed a case before Hon'ble High Court Judicature at Allahabad against consent Air revoked vide letter No. 57/C-192Water/Air, Sant Kabir Nagar 20-21 dated 19.05.2021 and consent Water revoked vide letter No. 58/C-192Water/Air/Sant Kabir Nagar 20-21 dated 19.05.2021. True copy of the said application is enclosed as Annexure-10.

The above facts are being submitted for consideration of this Hon'ble Tribunal.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Basti, U.P.

Item No. 03 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 47/2021

Manmohan Sharma Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 02.03.2021

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

ORDER

1. Grievance in this application is that there is encroachment of forest land in villages Belhar and Dushar, Tehsil Mehdawal, District Kabir Nagar, UP by respondent no. 16, M/s S.N. Brick Field, for setting up brick kiln. The applicant has filed relevant revenue record in support of the plea that the area in question is forest area and earlier order of this Tribunal dated 10.08.2018 in *O.A. No. 787/2017, Manmohan Sharma v. State of Uttar Pradesh & Ors.* as follows:-

> *"The applicant in person submits that all these brick kilns operators have destroyed the entire forest of the area and such an activity needs to be stopped forever.*
>
> *In view of the aforesaid circumstances, particularly the fact that when the brick kiln of respondent no.6 was closed down in the month of December, 2017, later on he has restarted the same with the different name. However, the PCB took note of it and again closed the same on 10- 07-2018.*
> ***We direct the District Magistrate, district Sant Kabir Nagar, and Superintendent of Police in the District to keep a regular vigil over the area and no brick kiln should come up again and there should not be any sort of destruction to the forest.***
>
> *The PCB shall also keep a regular watch that no brick kiln is restart without consent under law.*

Learned Counsel for State of Uttar Pradesh shall inform the District Magistrate district Sant Kabir Nagar and Superintendent of Police along with the copy of this order, to ensure that same is complied with in letter and spirit."

2. In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law. The State PCB will be nodal agency for compliance and coordination. An action taken report may be filed in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF and also upload the same on website of State PCB simultaneously so that the concerned parties/Departments can access the same for further course of action.

The applicant may serve a set of papers on the State PCB, the CCF, Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP and file an affidavit of service within one week.

A copy of this order be forwarded to the State PCB, the CCF, Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP by e-mail for compliance.

List for further consideration on 21.05.2021.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.K. Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

March 02, 2021
Original Application No. 47/2021
SN

S.b
22-03-2021

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1. जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि।

....

बैठक मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 आदि मे पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के वन भूमि के सम्बन्ध मे उप जिलाधिकारी मेहदावल की अध्यक्षता मे गठित समिति, जिसमे प्रभागीय वनाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खान अधिकारी, एवं चकबन्दी अधिकारी सम्मिलित थे।

प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2894/33–1 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा संख्या 2214/1 ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल वन भूमि पर स्थापित है अथवा नही, इस सम्बन्ध मे गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकिंत है। इन काश्तकारो मे मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अकिंत है, किन्तु राजस्व नक्शें मे इनका विभाजन नही है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि उक्त ईट भट्ठा वन भूमि मे स्थापित है अथवा नही। उक्त के अतिरिक्त जांच आख्या मे यह भी अंकित है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे सम्बन्धित रिट याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात आराजी न0 2214 के खातों का पृथक–पृथक विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे मे भी सभी खातों को पृथक–पृथक प्रदर्शित किया जा सकेगा। समिति की जांच आख्या के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती का कथन है कि ईट भट्ठे द्वारा सहमति हेतु आन लाइन आवेदन किया गया है। उपरोक्त विधिक अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठें के सहमति आवेदन पत्र पर गुण–दोष के आधार पर इस सशर्त ईट भट्ठें के संचालन हेतु अनुमति दिया गया कि भविष्य में चकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0 2214/1 वन विभाग की भूमि मे सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईट भट्ठा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईट भट्ठें का संचालन समाप्त कर अपने ईट भट्ठा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड को तत्काल सूचित किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सर्शत अनुमति दिया जाना उचित नही है, क्यो कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकिंत है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा ईंट

भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नही है।

ग्राम जंगल बेलहर मे चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध मे बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।

संख्या 1895 / एस0टी0ए0डी0एम0 / दिनांक 19 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी महोदया, को अवलोकनार्थ ।
2–जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत।
5–बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी संत कबीर नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

To,

1. The Chief Secretary
Govt. of Uttar Pradesh
Civil Secretariat, Lucknow U.P.

2. Principal Secretary (Revenue)
Govt. of Uttar Pradesh
Civil Secretariat, Lucknow U.P.

3. PrincipalSecretary,
Environment, Forest & Climate Change
Govt. of Uttar Pradesh
Civil Secretariat, Lucknow U.P.

4. Chief Conservator of Forest,
Forest Department,
Gorakhpur U.P.

5. Consolidation Commissioner
U.P. Lucknow.

6. Divisional Forest officer,
Distt. Sant Kabirnagar.

7. District Magistrate
Distt. Sant Kabir Nagar, U.P.

8. Chairman
U.P. Pollution Control Board,
TC12V, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010.

9. Member Secretary
U.P. Pollution Control Board,
TC12V, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010.

10. Chief Environmental officer (Circle-6)
U.P. Pollution Control Board,
TC12V, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010.

11. Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Block Road Buddhapuram, Badegan.
Distt. Basti-272001.

सुनीलराय

Sir,

That the applicant most respectfully begs to submit as under:-

1. That undisputedly after commencement of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950, the State Government promulgated U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 in order to adjudicate the controversy of numerous types of proprietary and cultivatory right in the agricultural holdings on the basis of Partal and also on the basis of revenue entries made in the basic years and in case of any dispute of proprietary right falling within the consolidation area notified by State Government U/s 4 of U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 by publishing the consolidation area in the official gazette.

2. That the holding in question belonging to the present applicant was duly recorded in revenue records in the basic year and the controversy pertaining to the land in question is the subject matter of suit pending before the court of consolidation where the rights of the parties pertaining to the land falling within the consolidation area can only be adjudicated and judicially determined by consolidation holding and the jurisdiction of all the courts in India including civil court, shall stand ousted/abated.

3. That the word **"consolidation area"** has been defined under 3(2-A) of U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 which is being reproduced **"consolidation area means the area, in respect of which notification under section 4 has been issued, except such portions thereof to which the provisions of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 [or any other law by which Zamindari System has been abolished] do not supply]"** and thus the controversy pertaining to land in dispute can very well be adjudicated by consolidation court but not otherwise.

4. That now coming to the question of applicability of the provision of section 5(2) of U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 after issuance of notification by state government u/s 4(2) of the Act, 1953 which has been issued undisputedly on 26.06.2008 and after issuance of notification of the consolidation area, the consequence which will ensue to this effect that all the proceedings for adjudicatory right of the land falling within the consolidation area, shall stand abated and all rights including the boundary dispute will be adjudicated by the consolidation court but not otherwise. Extract of the provision of Sec 5(2) of the said Act is being reproduced below:-

> **Section 5 (2)** Upon the said publication of the notification under sub-section (2) of Section 4, the following further consequences shall

सुनीलराय

ensue in the area to which the notification relates, namely - (a) every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or 6 ought to be taken under this Act, pending before any Court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision, shall, on an order being passed in that behalf by the Court or authority before whom such suit or proceeding is pending stand abated :

Provided that no such order shall be passed without giving to the parties notice by post or in any other manner and after giving them an opportunity of being heard : Provided further that on the issue of a notification under sub-section (1) of Section 6 in respect of the said area or part thereof, every such order in relation to the land lying in such area or part, as the case may be, shall stand vacated; (b) such abatement shall be without prejudice to the rights of the persons affected to agitate the right or interest in dispute in the said suits or proceedings before the appropriate consolidation authorities under and in accordance with the provisions of this Act and the Rules made thereunder]. 40 [Explanation. - For the purposes of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960(U.P. Act No. 1 of 1961) or an uncontested proceeding under Sections 134 to 137 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of the right or interest, in any land].

5. That by virtue the provision section 49 of the U.P. Consolidation of Holding Act, 1953, the entire power in respect of declaration and adjudication of right pertaining to the land falling within the ambit of consolidation area shall be determined only by consolidation court but not otherwise by excluding the jurisdiction of civil court and revenue court in this regard. The extract of provision of section 49 of the said Act, 1951.

Section 49. Bar to Civil Court jurisdiction. - Notwithstanding anything contained in any other law Courts for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure-holder in respect of land, lying in an area, for which a 133 [notification] has been issued 134 [under sub-section (2) of Section 4], or adjudication of any other right arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding could or ought to have been taken under this Act, shall be done in accordance with the provisions of this Act and no Civil or Revenue Court shall entertain any suit or proceeding with respect to rights in such land or with respect to

सुनीलराय

any other matters for which a proceeding could or ought to have been taken under this Act
[Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under Section 122-B of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951) in respect of any land, possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gram Sabha under or in accordance with the provisions of this Act]

6. That from the conjoint reading the provision of section 5(2) and section 49 of U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 it is evident that Boundary dispute, area dispute, cultivatory right and declaratory right pertaining to the land falling within the consolidation area can only be decided and adjudicated by consolidation court for which the suit to this effect has been filed before the consolidation authorities u/s 9 of the said Act of 1953.

7. That it is undisputed that Gata no. 2214, 2223, 2278, 2279 and 2280 of Belhar Tappa-Belhar Tehsil Mehdawar which are recorded in the name of the applicant/his predecessor in interest in the basic year as well as in the old Bandobast (Settlements) and thus any dispute of proprietary right/declaratory right can only be adjudicated by consolidation court on merit on the basis of set of evidence to be led by the respective parties for which the dispute is pending adjudication before the consolidation court.

8. That the aforesaid Gatas are recorded in khatauni in favour of applicant and boundary dispute will be adjudicated by the consolidation court in respect of which the matter is subjudice.

9. That it is also pointed out that the consent order granted by Board authorities reveals that the consent so accorded shall subject to final adjudication by consolidation court.

10. That the land in dispute was originally recorded in 1359 Fasli (1951), and also prior thereto when the U.P.Z.A.L.R Act, 1950 came into force and thereafter the proceeding by Forest Department u/s 20 of the Forest Act, 1927 were not concluded/finalized and as such no proprietary right in absence of final notification by State Government will confer any right in favour of Forest Department as is evident from the join committee report no. 208/ST/19 dated 15.06.2019 and thus it is established that no mutation proceeding were effected in favour of forest department in absence of proprietary right and thus the occupation over the land in dispute is founded upon the revenue entries in respect of gaga no 2214, 2223, 2225, 2218, 2279 and 2280. Moreover, all the lands planning to aforesaid gatas falls

सुशीलराव

within the ambit of adjudication by consolidation court as specifically mentioned in the consent order itself.

11. That it is well settled principle of law that when the notification u/s 4 of CH Act, 1953 has been issued by State Government and the consolidation operation is in progress, no court or authority has any power to adjudicate the controversy involved in the matter pertaining to the land in dispute for which the applicant has invoked the jurisdiction of consolidation court by filing suit/objection before ACO for deciding the controversy u/s 9 of CH, Act 1953.

12. That from the bare perusal of the section 9 of the said Act it is evident in case of any dispute of any tenure holder even in respect of joint holding or in respect of partition etc can very well be adjudicated by the consolidation authorities in accordance with law apart from the fact that the NGT in its order dated 02.03.2021 in OA No. 47/21 as specifically made clear that remedial action is required to be resorted to in accordance with law and thus the law of consolidation will take field for which the applicant has approached before the consolidation authorities by way of appropriate proceeding. The extract of para no. 2 of the order dated 02.03.2021 as mentioned above is being quoted below.

> **Para 2:-** In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sank Kabir Nagar, U.P look into the grievance and take **remedial action in accordance with law**. The State PCB will be nodal agency for compliance and coordination. An action taken report may be filed in the matter within two months by email and judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and no tin the form of image PDF and also upload the same on website of State PCBsimultaneously so that the concerned parties/departments can access the same for further course of action.

13. That from the perusal of the order of NGT it is evident that remedial action in accordance with law is required to be resorted to as contemplated under the provisions of section 4, 5, 9 and 49 U.P. Consolidation of Holding Act, 1953 but not otherwise.

14. That it is also not in dispute that the applicant has already taken legal recourse permissible under law for adjudication and judicial determination at the end of consolidation court. The copy of the suit filed by the applicant is being attached herewith.

सुनीलराय

15. That it is also noteworthy that the consent order that the consent order will remain operational until and unless the rights of the applicant pertaining to the land in question are finally adjudicated by the consolidation court.

It is,therefore, most respectfully submitted that theauthorities may refrain from usurping upon the power of consolidation court as provided under the consent order and also to act by taking remedial action as provided in para 2 of the order of NGT as quoted above for precuring the judicial order from consolidation court in accordance with law in respect of which the lis is pending before it.

Best regards,

Encl as above:-
Dated 26.04.2021

Your faithfully,

सुनीलराय

(Authorised signatory)
M/s S.N. Brick Field
(old name Rai Brick Field)
Gata no. 2214/1 Jungal Belhar
Tehsil Mehandawal
District:- Santkabir Nagar

भारतीय डाक
India Post

EU167833600IN INR:69051
SP KHALILABAD SO
Counter No:5,23/04/2023
To:SHAYAK CHAKBA,MEHDAWAL
PIN:272271, Mehdawal SO
From:DEELIP KUMAR ,JANGAL BELHAR
Wt:26gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

कल्याणकारी स्टाम्प
दस रुपये
RUPEES TEN
E 09401766

कोर्ट फी
दो रुपये TWO RUPEES

सिविल बार एसोसिएशन
सन्त कबीर नगर

अभिभाषण-पत्र

क्रम संख्या– 6651

न्यायालय श्रीमान् ......

सिविल मूलवाद सं0/अपील वाद सं0/पुनरीक्षण संख्या/प्रकीर्ण वाद संख्या ...... वर्ष ......

सत्र परीक्षण सं0/अपील संख्या/पुनरीक्षण सं0 ......

आपराधिक वाद सं0 अपराध संख्या ...... धारा ...... थाना ......

राजस्व वाद सं0/अपील सं0/पुनरीक्षण सं0 ...... वर्ष ......

मोटर दुर्घटना वाद सं0 ...... जनपद ......

...... दिलीप कुमार (प्रार्थी) ...... वादी/अपीलार्थी/पुनरीक्षण कर्ता/प्रार्थी

प्रति

...... सरकार ...... प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता/विपक्षी

उपर्युक्त वाद में मैं/हम ...... दिलीप कुमार ...... प्रतिज्ञ

श्री ...... एडवोकेट

को पारिश्रमिक के भुगतान की शर्तें के अधीन इस वाद की समस्त कार्यवाही प्रारम्भिक न्यायालय से अन्तिम न्यायालय अपील, निगरानी आदि के निमित्त अपना अधिवक्ता नियुक्त करके अधिकार दूता हूँ/देते हैं कि उक्त एडवोकेट/वकील महोदय मुझ/हम प्रतिज्ञ के पक्ष में जो कुछ कार्यवाही, आवश्यक हो करें। प्रश्न या उत्तर लिखें या मौखिक करें या वाद पत्र, प्रतिवाद–पत्र परिवाद काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करें या कोई प्रमाण–पत्र तथा विलेख इत्यादि प्रस्तुत, प्रविष्टि करें या वापस लें, प्रतिलिपि–पत्र लेवें या रुपया, चेक प्राप्त करें। मेरे/हमारे तरफ से वकाला संधि–पत्र प्रस्तुत करें व प्रमाणित करें या प्रतिपक्ष का दावा मेरे/हमारें ओर से स्वीकार करें। व्यापार कर कार्यालय से 'सी' फार्म प्राप्त करें। अपने हस्ताक्षर से प्रार्थना–पत्र देवें या पुनरीक्षण, पुनार्वेदन या पुनरावलोकन का प्रार्थना–पत्र या प्रति, आपत्ति–पत्र, क्रॉस ऑब्जेक्शन या पुनर्स्थापना का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें। वाद के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें या आज्ञप्ति के निष्पादन की समस्त कार्यवाही एवं कैविएट अपने हस्ताक्षर से करें। वह सब मुझ/हम प्रतिज्ञ के किये हुए के समान होगा व वह सब मुझको/हमको स्वीकार होगा और उसका दायित्व मुझ/हम प्रतिज्ञ के ऊपर होगा ।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप मुझ/हम प्रतिज्ञ ने यह अभिभाषक–पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और यथासमय, स्थान एंव आवश्यकता पर काम आवें।

न्यायालय ...... मूलवाद सं0 ...... वर्ष ...... वादी ...... प्रति ...... प्रतिवादी

हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा | साक्षी | साक्षी

सुनील राय
संजय कुमार
धीरेन्द्र कुमार
धर्मेन्द्र कुमार
अरुण कुमार
Varun Kumar

स्वीकृत
23-4-2021

तिथि मास वर्ष– पंजीयन संख्या एडवोकेट

माडल बाईलाज
" सिविल बार एसो...

भारतीय डाक
India Post
EU167833600IN INR:6565...
SP KHALILABAD SO ...
Counter No:5,23/04/2021
To:SHAYAK THAKRA,MEHDAWAL
PIN:272271, Mehdawal SO
From:DEELIP KUMAR ,JANGAL BELHAR
Wt:26gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

सुनील राय

Before The Assistant Consolidation Officer, Mehdawal District Sant Kabirnagar

Case no.............. of 2021

1. M/s S.N. Brick Field (old name Rai Brick Field) Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar through its authorised signatory.

2. Dileep Kumar S/o Late Brij Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar.

3. Sanjay Kumar S/o Late Brij Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar

4. Sunil Kumar S/o Late Brij Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar

5. Dhirendra Kumar S/o Surya Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar

6. Dharmendra Kumar S/o Surya Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar

7. Varun Kumar S/o Surya Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar.

8. Arun Kumar S/o Surya Narayan Village Jangal Bilhar, Pargana Bansi Puram Tehsil Mehdawal District Sant Kabirnagar.

.... **Applicants/Objectors**

Versus

1. Divisional Forest Officer, Distt. Sant Kabirnagar

2. Regional Forest Officer, Mehdawal, Distt. Sant Kabirnagar

.... Opp. Parties

SUIT/OBJECTION FOR DECLARATION/PARTITION AND ALSO FOR DEMARCATION OF LAND PERTAINING TO GATA NO. 2214/1 & 2214/11 SITUATED IN REVENUE VILLAGE JANGAL BILLHAR, PARGANA BANSI PURAM, TEHSIL MEHDAWAL, DISTT. SANT KABIRNAGAR

The applicants most respectfully beg to submit as under:-

1. That the land in dispute as mentioned above is duly recorded in revenue records coupled with the facts that the aforesaid Gatas are in physical and actual possession of the applicants.
2. That the entire land is Bhumidhari land which were recorded in revenue records and the name of the applicants and their predecessor-in-interest found place in Aadharwarsh Khatuni of 1359 Fasli and since then the applicants and their predecessors were in cultivatory possession after promulgation of UPZA & LR Act, 1950 apart from facts that their entries were also recorded in the earlier settlements.
3. That Forest Department without its valid title is claiming adversary right over the land in dispute though the land in question is still in physical and actual possession of the applicants.
4. That section 9 of the U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 contemplates that Assistant Consolidation Officer is fully empowered to demarcate by partitioning the joint holding and also pass an order correcting the clerical mistake etc. and as such the present claim is being filed for the purposes of adjudication and judicial determination in conformity with the provisions of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953.
5. That forest department is claiming adversary right even in absence of any title over the disputed land and as such the necessity to adjudicate the controversy as arisen either by way of mutual settlement or by way of adjudicatory process by the consolidation court.
6. That the documentary evidence in respect of the claim of the applicant is available which will itself determine the right of the parties.
7. That it is also relevant to point out here that due to inadvertence, the entry by way of forest land has been wrongly recorded without any final settlement u/s 20 of the Forest Act, 1927 that since the consolidation is in operation, the boundary dispute, demarcation,

सुशीलराय

partition and declaration of right can very well be made by the consolidation court.

8. That by virtue of the provision of section 49 of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953, the jurisdiction of civil court and revenue court for adjudication of right of such land falling within the consolidation area, has been excluded and as such the controversy involved in the matter can very well be adjudicated by the consolidation court.

9. That in case of protest by the Forest department in respect of correction of entries, the matter may be decided by competent consolidation court on the basis of set of evidence to be led by respective parties.

10. That the revenue entries which are found in the basic year as well as even prior to the UPZA & LR, Act found in the settlements will establish the proprietary and possessory right which is a sort of conclusive evidence.

11. That it is well settled that when the consolidation came into operation, the right of the authorities including the competant court shall stand ousted to determine the controversy involved in the matter.

12. That no notice in form 5 has been received by the applicants tenure holders as yet after publication of the notification u/s 4 of the UPCH, Act, 1953

It is most respectfully prayed that the notices be issued to the opposite parties to settle the dispute by way of amicable settlement and in case of any adversary dispute the matter may kindly be referred to the court of consolidation office for adjudication and judicial determination on the basis of evidence oral and documentary to be led by the parties in accordance with law.

Date:- 23.04.2021

Applicants

सुनीलराय

सुनीलराय
संजय राय Varun Rai
अरुण राय अनिल प्रकाश
धीरेन्द्र कुमार
धर्मेन्द्र कुमार

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर।

पत्रांक : 2754 / 2-6 दिनांक : गोरखपुर : मई 17 /2021

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित Original Application N0. 47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार निवेदन के साथ प्रेषित है:—

1— यह कि गाटा संख्या—2214 काफी बड़े भू—भाग में है, जिसमें वन विभाग व विभिन्न काश्तकारों के मिलजुमला क्षेत्रफल अंकित होने की दृष्टिगत एवं वन विभाग की भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—4 में अधिसूचित होने के कारण तथा ग्राम—जंगल बेलहर चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत होने से राजस्व मानचित्र में गाटावार विवरण तरमीम न होने के कारण जिलाधिकारी, संतकबीरनगर से उक्त के निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर द्वारा जिलाधिकारी, संतकबीरनगर से एक जॉच समिति बनाकर गाटा संख्या 2214 ग्राम—जगंल बेलहर की जॉच कराने का अनुरोध पत्रांक 2281/33—1, दिनांक 11—4—2019 द्वारा किया गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक—1)** तत्क्रम में जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के पत्रांक 424/शि0लि0 दिनांक 04.05.2019 **(छायाप्रति संलग्नक—2)** के द्वारा उप जिलाधिकारी, मेंहदावल की अध्यक्षता में वन विभाग एवं चकबन्दी अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गयी। तत्क्रम में उक्त टीम द्वारा जिलाधिकारी, संतकबीरनगर को उप जिलाधिकारी मेंहदावल के पत्र सं0—496/एस0टी0—19 दिनांक 17.06.2019 द्वारा संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी। **(छायाप्रति संलग्नक—3)**

2— यह कि इस कार्यालय के पत्र संख्या—2480/2—6 दिनांक 23.03.2021 द्वारा प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर से आख्या मांगी गयी तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर के पत्रांक 2413/33—1, दिनांक 13.05.2021 के द्वारा जॉच आख्या मय अभिलेखीय साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि संयुक्त जॉच आख्या के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक—4)**

3— यह कि वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती के पत्र सं0—2552/10—1 दिनांक 08.03.2021 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में यथोचित कार्यवाही हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी लखनऊ से अनुरोध किया गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक—5)**

4— यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतकबीरनगर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। कार्यवृत्ति की छायाप्रति संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक—6)** बैठक में दिये गये निर्देशों का प्रभावी अंश निम्नवत् है:—

"क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सर्शत अनुमति दिया जाना उचित नही है, क्यों कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या– 2214 मिलजुमला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अंकित है। जब तक नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नही है।

ग्राम जंगल बेलहर में चकबन्दी प्रकिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें"।

5– यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–2318/2–6 दिनांक 08.03.2021 एवं पत्रांक–2437/2–6 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा याची श्री मनमोहन शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों/रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22.03.2021 एवं 24.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, परन्तु याची श्री मनमोहन शर्मा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित नही हुए। उक्त पत्रों की छायाप्रतियॉं संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक–7, 7ए)**

उपरोक्त उल्लिखित अभिकथनों से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 का विभाग द्वारा पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है। अतः आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में निवेदन के साथ प्रेषित है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर
(प्रतिवादी सं0–14)

संख्या 2154 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, T.C/12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ। (ई–मेंल/रजिस्टर्ड)

2– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।

3– जिलाधिकारी संतकबीरनगर।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती। (ई–मेंल/रजिस्टर्ड)

(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर
(प्रतिवादी सं0–14)

संलग्नक–1

महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

पत्रांक– 2281 /33–1 दिनांक, संतकबीरनगर, अप्रैल 11 /2019

सेवा में,

जिलाधिकारी (न्यायिक)
संतकबीरनगर।

विषयः– मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फील्ड) गाटा सं0– 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील– मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ का पत्रांक–एच 33964/सी–6/ईंट भट्ठा/168/बस्ती/2019 दिनांक 25.03.2019 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

निवेदन है कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फील्ड) गाटा सं0– 2214/1 ग्राम– जंगल बेलहर, तहसील– मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर में वन भूमि पर स्थापित है अथवा नही, के सम्बन्ध में जांच कराकर आख्या मांगी गयी है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:–

1– ग्राम– जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर में भा0व0अधि0 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न प्रकार वन भूमि घोषित है:–

क0 सं0	गजट नोटिफिकेशन की संख्या व दिनांक	गजट का दिनांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
1	1801(4)/14–76–54 दिनांक–19.04.1954	01.05.1954	541.00 एकड़ and all uncultivated land
2	23(2)–48/14–ख–66 दिनांक–21.11.1966	21.11.1966	46.30 एकड़
3	23 (3)–74/14–ख–68 दिनांक 06.10.1968	30.11.1968	214.28 एकड़
		कुल योग–	**801.58 एकड़ and all uncultivated land**

ग्राम–जंगल बेलहर के उपरोक्त क0स0–1 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल अंकित नही है तथा क0सं0–2 व 3 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल अंकित है, किन्तु क0सं0–2 व 3 के गजट में गाटा सं0– 2214 अंकित नही है। उक्त ग्राम में स्थित गाटा सं0–2214 काफी बड़े भू–भाग में स्थित है, जिसमें विभिन्न काश्तकारो के साथ साथ वन विभाग का मिलजुमला नम्बर है क0स0–1 में अंकित गजट के सापेक्ष खसरा सन् 1359 फसली के अनुसार गाटा सं0–2214 का कुल रक्बा 67 बीघा 02 बिस्वांसी अंकित है जिसमें से 2214/18 रक्बा 06 बीघा 18 बिस्वा 04 बिस्वांसी (1.747 हे0) **(छायाप्रति संलग्नक–1)** जंगल दर्ज है, और यही क्षेत्र सन् 1360 फसली की खतौनी में भी जंगल के नाम से अंकित है किन्तु वर्तमान खतौनी में गाटा सं0– 2214/11मि0 वन विभाग के नाम 1.213 हे0 ही अंकित है। **(संलग्नक–2)** इस प्रकार गाटा सं0– 2214 में 0.534 हे0 भूमि की स्थिति स्पष्ट नही है और न ही अभी तक इसका खतौनी में अमलदरामद हो पाया है।

ग्राम–जंगल बेलहर में उपरोक्त सारिणी के अनुसार भा0व0अधि0 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत कुल 801.58 एकड़ (324.40 हे0) and all uncultivated land घोषित है किन्तु वर्तमान खतौनी के अनुसार वन विभाग के नाम 164.681 हे0 अमलदरामद है। उक्त ग्राम में क0सं0–1 में अंकित वर्ष 1954 के गजट **(छायाप्रति संलग्नक–3)** में गाटावार क्षेत्रफल अंकित नही होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा गजट के अनुरूप अभी तक सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद नही किया गया है, जिसके कारण मौके पर काफी विवाद है । वर्तमान में उक्त ग्राम चकबन्दी के अन्तर्गत है, राजस्व विभाग/चकबन्दी विभाग को गजट के अनुसार सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद हेतु लिखा गया था किन्तु चकबन्दी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत धारा–9 के प्रकाशन के उपरान्त सभी पक्षों को सुनकर निर्णय उपरान्त अमलदरामद की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त प्रकरण में हो रही शिकायत एवं वन विभाग व ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के दृष्टिगत मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2019 को राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एक संयुक्त बैठक की गयी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम– जंगल बेलहर में भा0व0अधि0 1927 की धारा–4 की अधिसूचना के अनुसार सन्– 1359 फसली की खतौनी के आधार पर वन विभाग द्वारा प्रेषित गाटावार (मिलजुमला नम्बर सहित) को चकबन्दी से पृथक रखा जाय सुलभ संदर्भ हेतु उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती के हस्ताक्षर से जारी कार्यवृत्त का पत्र सं0– 2383/33–1 दिनांक 27.02.2019 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)

.....2

मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती के द्वारा जारी उक्त निर्देश के कम में धारा–4 के गजट के अनुरूप धारा–20 तक की वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करके सीमांकन करने हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 2065/33–1 दिनांक 11.03.2019 के द्वारा समस्त अभिलेखों के साथ भेजा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–5)**

2– प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि ग्राम– जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर में उक्त धारा–4 के अन्तर्गत घोषित वन भूमि में राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न गाटाओं में क्षेत्रफल 54.189 हे0 में विभिन्न काश्तकारो के नाम से कृषि भूमि का पट्टा कर दिया गया था जिसकी जानकारी होने पर प्रभागीय निदेशक सा0वा0 वन प्रभाग बस्ती द्वारा 12/1989 में जिलाधिकारी के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का वाद दायर किया गया जिसे जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरान्त दिनांक 12.06.2017 को पट्टा निरस्त कर दिया गया **(छायाप्रति संलग्नक–6)** तथा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के न्यायालय में निगरानी वाद दायर किया गया, जिसे मण्डलायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश दिनांक 12.06.2017 एवं मण्डलायुक्त महोदय बस्ती मण्डल बस्ती के आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0–42062/2018 गनेश एवं 28 अन्य बनाम कमिश्नर बस्ती एवं 04 अन्य तथा रिट याचिका सं0–1305/2019 हेदायतुल्लाह व 19 अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं 04 अन्य के विरूद्व वाद दायर किया गया है, जिसमें मण्डलायुक्त बस्ती एवं जिलाधिकारी भी प्रतिवादी है। उक्त रिट में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बिना विभाग का पक्ष सुने ही एकतरफा कमशः दिनांक 19.12.2018 एवं दिनांक 22.01.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया है छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–7 व 8)** जिसमें प्रश्नगत गाटा सं0– 2214 भी सम्मिलित है। उक्त रिट याचिका एवं स्थगन आदेश को निरस्त कराने के सम्बन्ध में राजस्व एवं वन विभाग की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3– प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) ग्राम– जंगल बेलहर द्वारा गाटा सं0– 2225 जिसमें वन विभाग एवं विभिन्न काश्तकारों की मिलजुमला भूमि है, वन भूमि के गाटा सं0– 2278 व 2280 से सटे 100 मी0 की सीमा के अन्दर उक्त ईट भट्ठा में प्रयोग हेतु ईट निर्माण के लिए अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य वन क्षेत्र में स्थित वृक्षों से सटा कर किया गया, जिसकी किसी भी स्तर से कोई अनापत्ति/ अनुमति नही थी तथा उक्त ईट भट्ठा वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 130 मी0 की दूरी पर तथा उसकी चिमनी 160 मी0 की दूरी पर स्थापित होने के दृष्टिगत वन एवं वन भूमि का किसी भी प्रकार से क्षति न हो इसलिए इस कार्यालय के पत्रांक 1456/33–1 दिनांक 24.04.2017 **(छायाप्रति संलग्नक–9)** के द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर को उक्त ईट भट्ठा के लाईसेन्स को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निरस्त करने हेतु लिखा गया है तथा जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 12.06.2017 को उक्त ग्राम के गाटा सं0– 2224 में पट्टा निरस्त करने के उपरान्त ईट भट्ठा की निकटतम सीमा 68 मी0 व ईट पकाने वाली गोलाई 95 मी0 तथा चिमनी की दूरी 119 मी0 की दूरी पर स्थित होने के कारण मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 2305/33–1 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा उक्त ईट भट्ठे के लाइसेन्स को निरस्त करने हेतु लिखा गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–10)** तथा शासनादेश सं0– 5006/18–11–98–100 (डब्लू) 98 दिनांक 19.09.1998 के निर्देशानुसार वन क्षेत्र की 100 मी0 की परिधि में अवैध खनन आदि कार्य करने के कारण उक्त ईट भट्ठा के मालिकों के विरूद्व भा0व0अधि0 1927 की धारा–26 एवं 63 (ग) के अन्तर्गत वन अपराध पंजीकृत करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2418/10–1 दिनांक 22.06.2018 के द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संतकबीरनगर को उक्त अभियुक्तों के विरूद्व न्यायालय से उचित दण्ड हेतु भेजा गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक– 11)**

4– उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के पत्र सं0– 875/सा0–70/रिट याचिका/एन0जी0टी0/2018 दिनांक 28.12.2018 (छायाप्रति संलग्नक–12) के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0सं0 787/2017 में ई0ए0सं0–40/2018 मनमोहन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश को संलग्नकर आख्या मांगी गयी है, जिसमें मेसर्स राज ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम–मेसर्स एस0एन0ब्रिक फील्ड) खसरा न0–2214/11 निवासी– जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर भी प्रतिवादी न0–06 है, में N.G.T. द्वारा दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है:–

In view of the aforesaid circumstances, particularly the fact that when the brick kiln of respondent no.6 was closed down in the month of December, 2017, later on he has restarted the same with the different name.However, the PCB took note of it and again closed the same on 10.07.2018,

We direct the District Magistrate, district Sant Kabir Nagar, and Superintendent of police in the District to keep a regular vigil over the area and no brick kiln should come up again and there should not be any sort of destruction to the forest.

..........3

उपरोक्त प्रकरण में श्री मनमोहन शर्मा द्वारा किये गये शिकायती पत्र पर मा0 सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के कम में मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक 168/संतकबीरनगर/18 दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को पत्र लिखा गया, जिसके कम में जिलाधिकारी संतकबीरनगर के पत्रांक 536/(1)/ खनन सहायक दिनांक 20.11.2018 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु इस आशय से प्रेषित किया गया कि बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये किसी भी अवैध भट्ठे का पुनः संचालन न हो एवं किसी भी ईंट–भट्ठे से वन एवं वन भूमि का विनाश न होने पाये। (छायाप्रति संलग्नक–13)

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती के द्वारा मांगी गयी सूचना के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 1911/10–1 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा (छायाप्रति संलग्न–14) यह सूचित किया गया है कि सभी ईंट भट्ठे परोक्ष/अपरोक्ष रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचाये जाने के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा संज्ञान में लिया गया है। अतएव विषयगत प्रकरण में एन0जी0टी0 के आदेश का अनुपालन किया जाय।

उपरोक्त प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि ग्राम–जंगल बेलहर के अधिकांश बड़े–बड़े गाटों में जिसमें वन विभाग व विभिन्न काश्तकारों के मिलजुमला गाटे व क्षेत्रफल है तथा जिनकी सीमायें मौके पर स्पष्ट नही है एवं वर्तमान खतौनी में बन्दोबस्त के मूल रक्बे से फर्जी तरीके से अधिक क्षेत्रफल अंकित है और जब तक गाटे की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए सभी गाटों से बन्दोबस्त के मूल रक्बे से अधिक दर्ज रक्बे को नियमानुसार खारिज नही कर दिया जायेगा। तब तक इस समस्या का निदान किसी भी दशा में होना सम्भव नही है। इसी कारण से मण्डलायुक्त महोदय द्वारा ऐसे क्षेत्रों के चकबन्दी से बाहर करके वन बन्दोबस्त हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को निर्देश दिया गया है जिसके कम में वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर को वन बन्दोबस्त कार्य हेतु सभी अभिलेख प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी का मत है कि जब तक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से वाद का निर्णय एवं वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रों का अमलदरामद तथा ग्राम– जंगल बेलहर में मा0व0अधि0 1927 की धारा– 20 तक की वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही वन बन्दोबस्त अधिकारी संतकबीरनगर द्वारा पूर्ण नही कर ली जाती है तब तक विषयगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा अनापत्ति दिया जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए फिर भी यदि आवश्यक हो तो राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग एवं वन विभाग की एक संयुक्त टीम गठित करके अभिलेखों एवं मौके के स्थिति के अनुसार प्रकरण को निस्तारित कराने की कृपा करें ताकि पर्यावरण विभाग को विषयगत प्रकरण में तद्नुसार सूचित किया जा सके।
संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।
ई–मेल

संख्या /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संदर्भित पत्र में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0/12वी, विभूती खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ–226010।
2– मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर।
3– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती।
5– उप प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मेहदावल।

(डा0रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

सलग्नक - 2

कार्यालय जिलाधिकारी संतकबीरनगर

दिनांक 4 मई 2019

पत्र संख्या /शि0लि0

1—उपजिलाधिकारी मेहदावल

2—चकबन्दी अधिकारी मेहदावल

3—वन क्षेत्राधिकारी मेहदावल।

श्री मनमोहन शर्मा ग्राम व पोस्ट बेलहर कला तहसील मेहदावल जिला संत कबीर नगर ने माननीय आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती के समक्ष दिनांक 24.4.2019 को इस आशय का प्रार्थना पत्र साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया है कि ग्राम जंगल बेलहर की खतौनी 1323 व 1359 फ0 में जंगल की भूमि दर्ज है। किन्तु भूमाफिया ने जंगल की भूमि को अपने नाम से खतौनी में अंकित करा लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा 1323व 1359 फ0 में उल्लिखित जंगल की भूमि के रकबे के अनुसार वर्तमान खतौनी को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

श्री मनमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना व उसके साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया प्रकरण की संयुक्त जांच उपजिलाधिकारी मेहदावल की अध्यक्षता में करते हुए अपनी विस्तृत जांच आख्या एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
संतकबीरनगर ।

संख्या 42457/तद दिनांकित

प्रतिलिपि—1—जिलाधिकारी संत कबीर नगर को अवलोकनार्थ।

2—प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।

3—बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
संतकबीरनगर ।

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी
4740 33-1
06/5/19

महत्वपूर्ण

4 जा0न0-2481/29-1 दि0 08/5/19

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर व क्षेत्रीय वनाधिकारी मेहदावल को इस आशय से प्रेषित अन्तर्गत प्रकरण में सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त जाँच करना सुनिश्चित करें तथा संयुक्त जाँच रिपोर्ट की प्रति अपने स्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भी अवश्य प्रेषित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
संत कबीर नगर

सलग्नक – 3

जिलाधिकारी संत कबीर नगर 20/06/2019

कार्यालय उपजिलाधिकारी मेंहदावल, संत कबीर नगर।

पत्रांक 496 / एस0टी0–19 दिनांक 17 जून 2019

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

महोदय,

मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड, (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) गाटा सं0 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, संत कबीर नगर के सम्बन्ध में आपके द्वारा गठित कमेटी जिसमें उपजिलाधिकारी मेंहदावल, बन्दोबस्त अधिकारी संत कबीर नगर, चकबन्दी अधिकारी संत कबीर नगर, प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संत कबीर नगर, खनन निरीक्षक संत कबीर नगर को सदस्य नामित किया गया है। उक्त सदस्यों की बैठक आपके निर्देशानुसार दिनांक 04.06.2019 को सम्पन्न हुई। बैठक में सम्बन्धित अभिलेखों एवं विषय पर सम्यक विचार किया गया। विचारोपरान्त निम्नांकित तथ्य बिन्दुवार उल्लेखित हैं:–

बिन्दु सं0 1:–प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11 अप्रैल 2019 के प्रथम पैरा में ग्राम–जंगल बेलहर में वन विभाग की भूमि के सम्बन्ध में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उससे कमेटी के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक प्रश्न गाटा सं0 2214 मिनजुमला में वर्तमान खतौनी 1359 फसली के सापेक्ष रक्बा कम होने का प्रश्न है तो अभिलेखीय परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान खतौनी में कुछ काश्तकारों के नाम डबल इन्ट्री हैं तथा कुछ वन भूमि का पट्टा हो गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 12.06.2017 द्वारा गाटा सं0 2214/18 वन भूमि पर हुये पट्टों को निरस्त करते हुए 04 बीघा 14 विस्वा 7 धुर पुनः जंगल भूमि में दर्ज करने का आदेश पारित किया जा चुका है।

उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं0 1305/2019 के द्वारा याचिका योजित की गयी है, जिसमें दिनांक 22.01.2019 को स्थगन आदेश भी पारित किया गया है।

बिन्दु सं0 2:–प्रभागीय वनाधिकारी महोदय ने बिन्दु सं0 2 के पैरा में यह प्रश्न उठाया है कि ग्राम–जंगल बेलहर में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत कुल 801.5818 (324.40 हे0) घोषित है, किन्तु वर्तमान खतौनी के अनुसार वन विभाग के नाम 184.681 हे0 अमलदरामद है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी महोदय संत कबीर नगर ने स्वयं यह स्वीकारा है कि उक्त ग्राम में कम सं0 अंकित 1 में 1954 के गजट में गाटावार क्षेत्रफल नहीं होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा गजट के अनुरूप अभी तक सम्पूर्ण वन भूमि का अमलदरामद नहीं किया गया, जिसके कारण मौके पर काफी विवाद है।

नियमतः वन विभाग को 1954 के गजट के अनुरूप वन बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय से परवाना अमलदरामद जारी करवाना चाहिए था तथा गाटावार विवरण उपलब्ध कराना चाहिए था जो ततसमय नहीं किया गया।

वस्तुतः वर्तमान में ग्राम–जंगल बेलहर चकबंदी में है तथा धारा 9 के प्रकाशन के उपरांत सभी पक्षों को सुनकर निर्णयोपरांत अमलदरामद की जायेगी।

बिन्दु सं0 3:–प्रभागीय वनाधिकारी ने बिन्दु सं0 2, 3 व 4 के पैरा में जो विषय वस्तु अंकित की है, उस सम्बन्ध में कमेटी की आम सहमति है। जहां तक यह प्रश्न है कि मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा सं0 2214/1 ग्राम–जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संत कबीर नगर वन भूमि पर स्थापित है या नहीं, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि आ0सं0 2214 मिनजुमला नं0 है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम

अंकित हैं। इन काश्तकारों में मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अंकित है, किन्तु राजस्व नक्शे में इनका विभाजन नहीं किया गया है।

अतः जब तक नक्शे में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाते अलग–अलग नहीं कर दिये जाते तब तक यह अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त ईंट भट्टा वन भूमि में स्थापित है अथवा नहीं, लेकिन यह कमेटी के सभी सदस्यों को मान्य है कि मे0 एस0एन0 ब्रिक फील्ड के स्वामियों के नाम भी आ0 सं0 2214 मिनजुमला में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्बन्धित याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात् आ0 नं0 2214 के खातों का पृथक–2 विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे में भी सभी खातों को पृथक–2 प्रदर्शित किया जा सकेगा ।

अतः कमेटी की आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

04/6/19

उपप्रभागयीय वनाधिकारी, संत कबीर नगर।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
संत कबीर नगर।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
संत कबीर नगर।

खनन निरीक्षक,
संत कबीर नगर।

04-6-2019
उपजिलाधिकारी,
मेंहदावल।

संलग्नक – 4/1 E-mail

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर

पत्रांक 2480 / 2-6 , गोरखपुर, दिनांक, मार्च 23 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 प्रभाग, संतकबीरनगर।

विषय : ओ0ए0 संख्या 47 / 2021 मनमोहन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 2318 / 2–6 दिनांक 08.03.2021 एवं 2437 / 2–6 दिनांक 19.03.2021

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में याची का पक्ष सुनकर एक्शन टेकन हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2021 तथा 19.03.2021 द्वारा याची को पत्र निर्गत कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। किन्तु याची मनमोहन शर्मा ने मेल के माध्यम से अवगत कराया है कि "श्रीमान् जी कोरोना काल में मैं आपको गोरखपुर आकर जवाब नहीं दे सकता हूं।"

उक्त के अतिरिक्त एक अन्य फरीक श्री सुनील राय मेसर्स एस0एन0 ब्रिकफिल्ड (पूर्व नाम में राय ब्रिक फिल्ड) का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2021 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्रों को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में समुचित कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या वन संरक्षक के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें।

संलग्नकः– 1. यथोपरि।
2. रिट की प्रति मेल से प्राप्त करें।

भवदीय,
(वी0के0 चोपड़ा)
मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र,उ0प्र0,गोरखपुर

संख्या 2480 / समदिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक बस्ती वृत्त को इस आशय से कि प्रभागीय निदेशक, संतकबीरनगर से उनकी आख्या प्राप्त कर उसका परीक्षण करते हुए अपनी आख्या अविलम्ब उपलब्ध करायें। साथ ही प्रकरण में समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराते हुए मा0 एन0जी0टी0 में अधोहस्ताक्षरी पक्ष का समावेश करते हुए उत्तर दाखिल कराये। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामलें में मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 21.05.2021 को सुनवायी होनी है।

(वी0के0 चोपड़ा)
मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र,उ0प्र0,गोरखपुर

संलग्नक – 4/2

ई–मेल/रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

पत्रांक– 2413/33-1 दिनांक :संतकबीरनगर : मई 13 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0,
गोरखपुर।

विषयः– मेसर्स एस0एन0ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) द्वारा ग्राम– जंगल बेलहर, तहसील– मेहदावल, जनपद– संतकबीरनगर में ईट– भट्ठो की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र सं0–59968/06/आ0/620/ओ0ए0एन0 47/2021 दिनांक 12.03.2021 एवं मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के नाम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल अप्लीकेशन न0– 47/2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश **(छाया प्रति संलग्नक–1)**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयगत मामलें में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.03.2021 की प्रति जिलाधिकारी संतकबीरनगर के कार्यालय से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामलें में आपके पत्र संख्या एच– 33964/सी–6/ईट भट0/01/168/बस्ती/2019 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा यह आख्या मांगी गयी थी कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय, ब्रिक फील्ड) गाटा सं0– 2214/1 जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर वन भूमि पर स्थापित है अथवा नही।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं0– 2214 काफी बड़े भू–भाग में है, जिसमें वन विभाग व विभिन्न काशतकारों के मिलजुमला क्षेत्रफल अंकित होने के दृष्टिगत एवं वन विभाग की भूमि का भा0व0 अधि0 1927 की धारा–20 नही होने के कारण तथा उक्त ग्राम चकबन्दी प्रकिया के अर्न्तगत होने से राजस्व मानचित्र में तरमीम नही होने के कारण जिलाधिकारी संतकबीरनगर से उक्त के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–2281/33–1 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी संतकबीरनगर के कार्यालय के पत्रांक–424/शि0लि0 दिनांक 04.05.2019 के द्वारा उप जिलाधिकारी मेंहदावल की अध्यक्षता में वन विभाग एवं चकबन्दी अधिकारी की एक संयुक्त टीम गठित की गयी थी, तत्क्रम में उक्त टीम द्वारा जिलाधिकारी संतकबीरनगर को दिनांक 04.06.2019 को संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा दिये गये निर्देश एवं आपके **उक्त पत्र दिनांक 25.03.2019 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक–2894/33–1 दिनांक 28.06.2019 के द्वारा जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखों के साथ आपको ई–मेल एवं रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया है जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संयुक्त जांच आख्या के दृष्टिगत प्रश्नगत ईट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति दिया जाना सम्भव नही है।** सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–2894/33–1 दिनांक 28.06.2019 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के दिनांक 02.03.2021 के आदेश के अनुपालन हेतु कृपया अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

संख्या :2413/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
2– जिलाधिकारी संतकबीरनगर।
3– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोमतीनगर लखनऊ।

13/5/2021

(डा0 रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

संलग्नक – 5

रजिस्टर्ड

कार्यालय–वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail – ID : cfbasti1947@gmail.com
Office. : Conservator of Foreststs Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar
Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक 9552 /10–1 बस्ती, दिनांक मार्च 08 /2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 / 12 वी विभूमि खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ–226010

विषय :– मेसर्स एस0एन0ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम राय ब्रिक फील्ड) द्वारा ग्राम–जंगल बेलहर, तहसील–मेहदावल, जनपद–सन्तकबीरनगर में ईट–भट्ठो की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के नाम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल अपलीकेशन नं0–47 / 2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर का पत्र सं0–1976 / 33–1 दिनांक 04.03.2021 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित है। **(छायाप्रति संलग्न)**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत आख्या प्रेषित करते हुये ओरिजनल अपलीकेशन नं0–47 / 2021 मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में आपके स्तर से यथोचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। कृपया मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में यथोचित कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर एवं इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश पाठक)
वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर।
2. जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर।

(आनन्द प्रकाश पाठक)
वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

संलग्नक –6

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1. जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि।

....

बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 आदि मे पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के वन भूमि के सम्बन्ध मे उप जिलाधिकारी मेहदावल की अध्यक्षता मे गठित समिति, जिसमे प्रभागीय वनाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खान अधिकारी, एवं चकबन्दी अधिकारी सम्मिलित थे।

प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2894/33–1 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा संख्या 2214/1 ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल वन भूमि पर स्थापित है अथवा नही, इस सम्बन्ध मे गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अकिल है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकिंत है। इन काश्तकारो मे मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अकिंत है, किन्तु राजस्व नक्शें मे इनका विभाजन नही है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि उक्त ईट भट्ठा वन भूमि मे स्थापित है अथवा नही। उक्त के अतिरिक्त जांच आख्या मे यह भी अंकित है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे सम्बन्धित रिट याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात आराजी न0 2214 के खातों का पृथक–पृथक विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे मे भी सभी खातों को पृथक–पृथक प्रदर्शित किया जा सकेगा। समिति की जांच आख्या के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती का कथन है कि ईट भट्ठे द्वारा सहमति हेतु आन लाइन आवेदन किया गया है। उपरोक्त विधिक अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठें के सहमति आवेदन पत्र पर गुण–दोष के आधार पर इस सशर्त ईट भट्ठें के संचालन हेतु अनुमति दिया गया कि भविष्य में चकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0 2214/1 वन विभाग की भूमि मे सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईट भट्ठा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईट भट्ठें का संचालन समाप्त कर अपने ईट भट्ठा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड को तत्काल सूचित किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सशर्त अनुमति दिया जाना उचित नही है, क्यो कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकित है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा वन भूमि पर नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा ईंट

भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नही है।

ग्राम जंगल बेलहर मे चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध मे बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।

संख्या 1895 / एस0टी0ए0डी0एम0 / दिनांक 19 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी महोदया, को अवलोकनार्थ ।
✓2–जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत।
5–बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी संत कबीर नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

पत्रांक 2096/331 दि0 20/3/21

प्रतिलिपि → क्षेत्रीय वन अधिकारी मेंहदावल को उपरोक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि → उप प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर।

o/c

(हस्ताक्षर) 22/3/21
प्र० व०
संतकबीरनगर

संलग्नक – 7/1 ... 3151

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,पूर्वी क्षेत्र,उ0प्र0,गोरखपुर

पत्रांक : 2318 /2-6 गोरखपुर, दिनांक मार्च 8 /2021

सेवा में,

श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री घनश्याम,
निवास Ist-151 प्रेमनगर–2
सूलेमान नगर किरादी चौक,
नियर 70 फिट रोड, दिल्ली।
पिन कोड–116086,
मो0नं0–9716832757
ई–मेल–manmohan1783@gmail.com

विषय :– मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फिल्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फिल्ड) द्वारा ग्राम जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद–सन्तकबीरनगर में ईट–भट्ठो की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दाखिल ओरिजनल एप्लीकेशन सं0–47/2021 में दिनांक 02.03.2021 को पारित अन्तरिम आदेश (छाया प्रति संलग्न)

विषयगत मामलें में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2021 में प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :–

In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law.

अतः अपनी शिकायती के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्य/रिकार्ड सहित दिनांक 22.03.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष "कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर" में उपस्थित होने का कष्ट करें। यहां आने से दो दिन पूर्व दूरभाष सं0–7839435325 पर सम्पर्क भी कर लेवें।

संलग्नक :– यथोपरि।

(वी0के0 चोपड़ा)
मुख्य वन संरक्षक,
पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर

संख्या : 2318 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सन्तकबीरनगर वन प्रभाग, सन्तकबीरनगर।

(वी0के0 चोपड़ा)
मुख्य वन संरक्षक,
पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर

संलग्नक – 7/2 E-mail

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर

पत्रांक 2437 / 2–6, गोरखपुर, दिनांक, मार्च 19 /2021

सेवा में,

श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री घनश्याम
निवास Ist–151 प्रेमनगर–2
सूलेमान नगर किरादी चौक
नियर 70 फिट रोड, दिल्ली
पिन कोडः– 116086
मो0नं0– 9716832757
ई–मेल– manmohan1783@gmail.com

विषय : मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फिल्ड (पूर्वनाम राय ब्रिक फिल्ड) द्वारा ग्राम जंगल बेलहर, तहसील–मेंहदावल, जनपद– संतकबीरनगर में ईट– भट्ठों की स्थापना हेतु अनापत्ति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 2318/2–6 दिनांक 08.03.2021 (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न।)

विषयगत मामलें में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2021 मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर को दिये गये निर्देश के क्रम में आप का पक्ष सुनकर कार्यवाही किये जाने हेतु आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 22.03.2021 को इस कार्यालय के **पत्रांक 2318/2–6 दिनांक 08.03.2021 (पंजीकृत डाक)** द्वारा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर में आमंत्रित किया गया है, और आने से दो दिन पूर्व दूरभाष सं0 **7839435325** पर सम्पर्क कर लेने हेतु अवगत भी कराया गया है। किन्तु आप द्वारा अभी तक इस आशय की पुष्टि नहीं की गयी है कि दिनांक 22.03.2021 को आप अपना पक्ष प्रस्तु करने हेतु आ रहे है अथवा नहीं आ रहे है।

अतः आपको पुनः अवगत कराना है कि आप दिनांक **24.03.2021** को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर में उपस्थित होने का कष्ट करे। आने से दो दिन पूर्व मो0 नं0 **7939435325** पर सम्पर्क कर लेवे।

<u>संलग्नकः– यथोपरि।</u>

(हस्ताक्षर) 19/03/21
(वी0के0 चोपड़ा)
मुख्य वन संरक्षक
पूर्वी क्षेत्र,उ0प्र0,गोरखपुर

महोदय

आज दिनांक 19/03/2021 को 4.07 PM पर श्री मनमोहन शर्मा द्वारा पत्र प्राप्ति की पुष्टि दूरभाष पर की गई। (हस्ताक्षर) 19/03/2021

महोदय,

पत्र का उत्तर श्री मनमोहन शर्मा द्वारा ई-मेल से आया हुआ है। संमुख पृष्ठ पर अवलोकनार्थ एवं निर्देश हेतु संलग्न है। (हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर।

पत्रांक– 2422 / 331 दिनांक :संतकबीरनगर :मई 17 /2021

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड
बस्ती।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–53/सी–192/जलवायु/संतकबीरनगर/2021 दिनांक 13.05.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतकबीरनगर के पत्रांक–1895/एस0टी0ए0डी0एम0/दिनांक 19.03.2021 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे संयुक्त बैठक की कार्यवृत्त जारी की गयी **(जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है)** जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:– 1–जिला प्रभागीय वनाधिकारी, 2– क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती, 3– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के प्रतिनिधि। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है दिनांक 15.03.2021 को बैठक में दिये गये निर्देशों का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सर्शत अनुमति दिया जाना उचित नही है, क्यो कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी सं0–2214 मिलजुमला नम्बर है जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अंकित है जब तक नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता है तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नही है।"

अतः माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(डा0रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

संख्या 2422 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड TC/12V गोमतीनगर लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0 गोरखपुर।
3– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।

17/5/2021

(डा0रंगाराजू टी0)
प्रभागीय वनाधिकारी
संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।

कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन हेतु दिनांक 15.03.2021 पूर्वान्ह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1. जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि।

....

बैठक मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मनमोहन शर्मा बनाम उ0प्र0 आदि मे पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के वन भूमि के सम्बन्ध मे उप जिलाधिकारी मेहदावल की अध्यक्षता मे गठित समिति, जिसमे प्रभागीय वनाधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खान अधिकारी, एवं चकबन्दी अधिकारी सम्मिलित थे।

प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या 2894/33-1 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड गाटा संख्या 2214/1 ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेहदावल वन भूमि पर स्थापित है अथवा नही, इस सम्बन्ध मे गठित समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकिंत है। इन काश्तकारो मे मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा के स्वामियों का भी नाम अकिंत है, किन्तु राजस्व नक्शें मे इनका विभाजन नही है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग-अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि उक्त ईट भट्ठा वन भूमि मे स्थापित है अथवा नही। उक्त के अतिरिक्त जांच आख्या मे यह भी अंकित है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे सम्बन्धित रिट याचिका निस्तारित होने के उपरान्त तथा धारा 9 के प्रकाशन के पश्चात आराजी न0 2214 के खातों का पृथक-पृथक विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे मे भी सभी खातों को पृथक-पृथक प्रदर्शित किया जा सकेगा। समिति की जांच आख्या के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती का कथन है कि ईट भट्ठे द्वारा सहमति हेतु आन लाइन आवेदन किया गया है। उपरोक्त विधिक अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठें के सहमति आवेदन पत्र पर गुण-दोष के आधार पर इस सशर्त ईट भट्ठें के संचालन हेतु अनुमति दिया गया कि भविष्य में चकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0 2214/1 वन विभाग की भूमि मे सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईट भट्ठा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईट भट्ठें का संचालन समाप्त कर अपने ईट भट्ठा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड को तत्काल सूचित किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा दी गयी सर्शत अनुमति दिया जाना उचित नही है, क्यो कि समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी संख्या 2214 मिलजुमिला नम्बर है, जिसमे वन विभाग का भी नाम अकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम भी अकिंत है। जबतक नक्शे मे विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग-अलग नही कर दिया जाता है, तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्टा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा ईट

20/3/21

भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दिये जाने के बावजूद भी क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती द्वारा सर्शत अनुमति दी गयी जो उचित नही है।

ग्राम जंगल बेलहर मे चकबन्दी प्रकिया चल रही है। चकबन्दी के दौरान जंगल खाते भूमि एवं डबल इन्ट्री के सम्बन्ध मे बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु टीम गठित कर नियमानुसार जंगल खाते की भूमि को सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।

संख्या 1895 / एस0टी0ए0डी0एम0 / दिनांक 19 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी महोदया, को अवलोकनार्थ ।
✓2–जिला प्रभागीय वनाधिकारी।
3–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत।
5–बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी संत कबीर नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
संत कबीर नगर।

पत्रांक 2096/उ.न. दि0 20/3/21

प्रतिलिपि → क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय को उपरोक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि → उप प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर।

o/c

20/3/2021
प्र0 व0
संतकबीरनगर

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 57/सी-192/जल/वायु/संतकबीर नगर/2021 दिनांक : 19/05/2021

सेवा में,

मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम–मेसर्स राय ब्रिक फील्ड),
ग्राम–जंगल बेलहर, पो0–बेलहरकला,
तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर।

विषयः–वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा–21 के अन्तर्गत जारी सहमति वायु आदेश दिनांक 10.06.2020 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–29/सी–192/जल/वायु/2021 दिनांक 13.04.2021 एवं पत्रांक 37/सी–192/जल/वायु/2021 दिनांक 23.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रो के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र सं0–**95200/UPPCB/Basti (UPPCBRO)/CTO/air/SANTKABIR NAGAR /2020 Dated:10/06/2020** द्वारा जारी सशर्त सहमति(वायु) में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.04.2021 द्वारा अनुपालन संबंधी उत्तर संतोषजनक नही है। आप द्वारा सहमति वायु आवेदन पत्र में ईंट भट्ठा स्थल का गाटा संख्या दर्शाया नही गया है तथा कोई दस्तावेज इस संबंध में अपलोड नही किया गया। कार्यालय अभिलेखो से ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा ईंट भट्ठा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है। वायु सहमति की शर्त सं0–01–***"भविष्य में चंकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0–2214/1 वन विभाग की भूमि में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईंट भट्ठा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईंट भट्ठे का संचालन समाप्त कर अपने ईंट भट्ठा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड तत्काल सूचित किया जायेगा।"*** आप द्वारा प्रेषित अपने उत्तर/पत्र दिनांक 26.04.2021 से स्पष्ट नही हो पा रहा है कि वर्तमान ईंट भट्ठा स्थल पर स्वामित्व आपका है, जो इस बात को इंगित करता है कि शर्त संख्या–01 का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी सुसंगत दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया।

माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–47/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के सुसंगत अंश– In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law.

उक्त आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के पत्रांक–1895 / एस0टी0 ए0डी0एम0 दिनांक 19.03.2021, कार्यालय वनसंरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती के पत्रांक 2999 / 10–1 / बस्ती दिनांक 17.05.2021, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर के पत्रांक 2422 / 331 / संतकबीरनगर दिनांक 17.05.2021 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0 गोरखपुर के पत्रांक 2754 / 2–6 / गोरखपुर दिनांक 17.05.2021 द्वारा प्रकरण के संबंध में आख्या प्राप्त की गयी। उक्त प्राप्त आख्याओ में यह उल्लेख किया गया है कि– ***"आराजी सं0–2214 मिलजुमला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारो के भी नाम भी अंकित है, जब तक नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दी गयी है।***

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में एवं माननीय एन0जी0टी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 में पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम–मेसर्स राय ब्रिक फील्ड), ग्राम–जंगल बेलहर, पो0–बेलहरकला, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर को इस कार्यालय के पत्र सं0–**95200/UPPCB/Basti (UPPCBRO)/CTO/ air/SANTKABIR NAGAR /2020 Dated:10/06/2020** द्वारा जारी सशर्त सहमति(वायु) को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए खण्डित / रिवोक किया जाता है, जब तक की संबंधित विभाग द्वारा नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता एवं सबके खाते अलग–अलग नही कर दिये जाते तथा वन विभाग, संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठे को संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही कर दिया जाता।

भवदीय

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) जिलाधिकारी महोदया, संतकबीरनगर।
(2) सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(3) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0 गोरखपुर।
(4) वनसंरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती।
(5) अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0), संतकबीरनगर।
(6) मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(7) विधि अधिकारी(प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(8) प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।
(9) जिला पंचायत, संतकबीरनगर।
(10) खनन अधिकारी, संतकबीरनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 58/सी-192/जल/वायु/संतकबीरनगर/2021 दिनांक : 19/05/2021

सेवा में,

मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम–मेसर्स राय ब्रिक फील्ड),
ग्राम–जंगल बेलहर, पो0–बेलहरकला,
तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर।

विषयः–जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(यथा संशोधित) की धारा–25/26 के अन्तर्गत जारी सहमति जल आदेश दिनांक 10.06.2020 के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–29/सी–192/जल/वायु/2021 दिनांक 13.04.2021 एवं पत्रांक 37/सी–192/जल/वायु/2021 दिनांक 23.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रो के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र सं0–**95203/UPPCB/ Basti(UPPCBRO)/CTO / water/SANT KABIR NAGAR/2020 Dated:10/06/2020** द्वारा जारी सशर्त सहमति(जल) में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.04.2021 द्वारा अनुपालन संबंधी उत्तर संतोषजनक नही है। आप द्वारा सहमति वायु आवेदन पत्र में ईंट भट्ठा स्थल का गाटा संख्या दर्शाया नही गया है तथा कोई दस्तावेज इस संबंध में अपलोड नही किया गया। कार्यालय अभिलेखो से ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा ईंट भट्ठा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है। वायु सहमति की शर्त सं0–01–*"भविष्य में चकबन्दी के दौरान यदि गाटा सं0–2214/1 वन विभाग की भूमि में सम्मिलित हो जाता है। ऐसी अवस्था में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं ईंट भट्ठा संचालन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उक्त स्थल पर ईंट भट्ठे का संचालन समाप्त कर अपने ईंट भट्ठा एवं चिमनी को निजी व्यय पर डिस्मेन्टल करके बोर्ड तत्काल सूचित किया जायेगा।"* आप द्वारा प्रेषित अपने उत्तर/पत्र दिनांक 26.04.2021 से स्पष्ट नही हो पा रहा है कि वर्तमान ईंट भट्ठा स्थल पर स्वामित्व आपका है, जो इस बात को इंगित करता है कि शर्त संख्या–01 का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी सुसंगत दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया।

माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–47/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के सुसंगत अंश– In view of above, let the State PCB, the Chief Conservator of Forest (CCF), Gorakhpur and the District Magistrate, Sant Kabir Nagar, UP look into the grievance and take remedial action in accordance with law.

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती–272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com

उक्त आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के पत्रांक–1895/एस0टी0 ए0डी0एम0 दिनांक 19.03.2021, कार्यालय वनसंरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती के पत्रांक 2999/10–1/बस्ती दिनांक 17.05.2021, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर के पत्रांक 2422/331/संतकबीरनगर दिनांक 17.05.2021 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0 गोरखपुर के पत्रांक 2754/2–6/गोरखपुर दिनांक 17.05.2021 द्वारा प्रकरण के संबंध में आख्या प्राप्त की गयी। उक्त प्राप्त आख्याओ में यह उल्लेख किया गया है कि– *"आराजी सं0–2214 मिलजुमला नम्बर है, जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारो के भी नाम भी अंकित है, जब तक नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता तथा सबके खाता अलग–अलग नही कर दिया जाता तब तक यह नही कहा जा सकता कि मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा वन भूमि पर नही है। प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठा के संचालन हेतु अनापत्ति नही दी गयी है।*

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में एवं माननीय एन0जी0टी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 में पारित आदेश के अनुक्रम में मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड(पूर्व नाम–मेसर्स राय ब्रिक फील्ड), ग्राम–जंगल बेलहर, पो0–बेलहरकला, तहसील–मेंहदावल, जनपद–संतकबीरनगर को इस कार्यालय के पत्र सं0–**95203/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/water/SANT KABIR NAGAR/2020 Dated:10/06/2020** द्वारा जारी सशर्त सहमति(जल) को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए खण्डित/रिवोक किया जाता है, जब तक की संबंधित विभाग द्वारा नक्शे में विभाजन नही कर दिया जाता एवं सबके खाते अलग–अलग नही कर दिये जाते तथा वन विभाग, संतकबीरनगर द्वारा ईंट भट्ठे को संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही कर दिया जाता।

भवदीय

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) जिलाधिकारी महोदया, संतकबीरनगर।
(2) सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(3) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0 गोरखपुर।
(4) वनसंरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती।
(5) अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), संतकबीरनगर।
(6) मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(7) विधि अधिकारी(प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
(8) प्रभागीय वनाधिकारी, संतकबीरनगर वन प्रभाग, संतकबीरनगर।
(9) जिला पंचायत, संतकबीरनगर।
(10) खनन अधिकारी, संतकबीरनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी,संत कबीर नगर।

संख्या/119(4)/ खनन सहायक दिनांक 24 मई, 2021

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के सम्बन्ध में।

1. **प्रभागीय वनाधिकारी संत कबीर नगर।**
2. **उपजिलाधिकारी, मेहदावल।**
3. **पुलिस क्षेत्राधिकारी, मेंहदावल।**
4. **क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।**

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्र संख्या 49/सी–192/जल/वायु/संत कबीर नगर/2021 दिनांक 13.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ0ए0 संख्या–47/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के निर्दिष्ट निर्देश "take remedial action in accordance with law" के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्ठा मेसर्स एस0एन0ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मेसर्स राय ब्रिक फील्ड) ग्राम जंगल बेलहर पो0 बेलहर कला तहसील मेहदावल का स्थल वन भूमि में आच्छादित है अथवा नही के संबन्ध में लिये गये निर्णय से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

तत्संबन्ध में अवगत कराना है कि मे0 एस0एन0ब्रिक फील्ड गाटा संख्या 2214/1 ग्राम जंगल बेलहर तहसील मेंहदावल संत कबीर नगर वन भूमि पर स्थापित है या नहीं इस संबन्ध में स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि उपजिलाधिकारी मेंहदावल के पत्र संख्या–496/एस0टी–19 दिनॉक 17.06.2019 द्वारा संयुक्त आख्या में उल्लिखित किया है कि आ0सं0 2214 मिनजुमला नंबर है जिसमें वन विभाग का भी नाम अंकित है तथा विभिन्न काश्तकारों के भी नाम अंकित है। इन काश्तकारों में मे0 एस0एन0ब्रिक फील्ड ईट भटठा के स्वामियों का भी नाम अंकित है किन्तु राजस्व नक्शे में इनका विभाजन नहीं किया गया है। जब तक नक्शे में विभाजन नहीं कर दिया जाता तथा सबके खाते अलग अलग नहीं कर दिये जाते तब तक यह अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त ईट भटठा वन भूमि में स्थापित है अथवा नहीं। क्योंकि विभाजन नहीं होने का तात्पर्य है कि भूमि के हर भाग पर सभी सह खातेदारों का अंश होता है। ग्राम बेलहर कला चकबन्दी प्रकिया के अधीन है। चकबन्दी धारा–9 के प्रकाशन के पश्चात आ0नं0 2214 के खातों का पृथक विभाजन किया जा सकेगा तथा नक्शे में भी सभी खातों को पृथक–2 प्रदर्शित किया जा सकेगा। जब तक खातो का विभाजन नही दिया जाता तब तक सभी खातेदारों का सभी अंश पर स्वामित्व रहता है।

उपरोक्त परिस्थिति के बावजूद भी विवादित आराजी नंबर पर संबन्धित ईट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्र संख्या–95200/UPPCB/Basti/(UPPCBRO)/CTO/air/SANTKABIRNAGAR/2020 Dated 10.06.2020 द्वारा सशर्त सहमति(वायु) प्रदान किया गया, जिसके कारण वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्र संख्या–57/सी–192/जल/वायु/संत कबीर नगर/2021 दिनांक 19.05.2021 द्वारा मेसर्स एस0एन0 ब्रिक फील्ड के पक्ष में उक्त निर्गत सशर्त सहमति(वायु) को खंण्डित/रिवोक किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र संख्या 76/खनन सहायक दिनॉक 08.03.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यथावश्यक कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित करे कि प्रश्नगत भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न किया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ओ0ए0 संख्या–47/2021 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्ठा मे0 एस0एन0ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मेसर्स राय ब्रिक फील्ड) ग्राम जंगल बेलहर पो0 बेलहर कला तहसील मेहदावल का स्थल वन भूमि में आच्छादित होने के दृष्टिगत उपरोक्त भट्ठा स्थल की पुनः जॉच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त भट्ठा का संचालन किसी भी दशा में न हो तथा तत्सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

(दिव्या मित्तल)
जिलाधिकारी
संत कबीर नगर।

संख्या /तददिनॉकित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
संत कबीर नगर।

मेसर्स एस० एन० ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मेसर्स राम ब्रिक फील्ड), ग्राम- जंगल बेलहर, पो०- बेलहर कला, तहसील - मेंहदावल, जनपद- संतकबीर की जाँच / निरीक्षण आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ० ए० सं० - 47/2021 मनमोहन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 02/03/2021 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, संतकबीर नगर के पत्र संख्या - 119(4)/खनन सहायक दिनाँक 24/05/2021 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठा मेसर्स एस० एन० ब्रिकफील्ड (पूर्व नाम राम ब्रिक फील्ड), ग्रा० - जंगल बेलहर, पो०- बेलहर कला, तह०- मेंहदावल, जनपद- संतकबीरनगर का निरीक्षण तहसीलदार, मेंहदावल, संतकबीर नगर द्वारा नामित नायब तहसीलदार, मेंहदावल संतकबीरनगर एवं उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती के अधिकारियों के द्वारा आज दिनाँक 02/06/2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री धीरेन्द्र राय उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान मौके पर ईंट भट्ठे में उत्पादन कार्य बंद पाया गया। ईंट भट्ठा स्थल पर कच्ची ईंटों की पथाई का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया तथा ईंट भट्ठे की चिमनी से धुंए का उत्सर्जन होता हुआ नहीं पाया गया। ईंट भट्ठे का संचालन बंद पाया गया। उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को आदेश से अवगत कराते हुये ईंट भट्ठा संचालन पूर्णतया यथावत बन्द रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्त जाँच / निरीक्षण आख्या आपकी सेवा में आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 02/6/2021
प्रयोगशाला सहायक
क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बस्ती

(हस्ताक्षर) 02/06/2021
सहा० पर्या० अभियन्ता
क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बस्ती

(हस्ताक्षर) 02.06.21
नायब तहसीलदार
तह०- मेंहदावल, संतकबीरनगर

(हस्ताक्षर) 2.6.21
उपजिलाधिकारी महोदय
तह०- मेंहदावल, संतकबीरनगर

(140)

प्रदीप
9450582564
9517203299 ब्लॉक प्रमुख

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
****

INDEX
IN
CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021
(Under Article 226 of the Constitution of India)
(DISTRICT – SANT KABIR NAGAR)

M/s S.N. Brick Field ....Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others

.... Respondents

Sl.	Particulars	Date	Annex.	Page
1.	Dates and events			1-14
2.	Civil Misc. Stay Application (u/c XXII Rule 1 of the High Court Rules)			15-17
3.	Writ petition under Article 226 of Constitution of India			18-64
4.	True and photo copy of Khatauni 1409-1414F in respect of Khata no. 415		1	65-66
5.	True and photo copy of Khatauni 1409-1419F in respect of Khata no. 357		2	67-77
6.	True and photo copy of Khatauni 1409-1414F in respect of Khata no.1437		3	78-80
7.	True and photo copy of the receipt		4	81-82
8.	Photo copy of the aforesaid *U.P. Eith Bhatta (Esthapna Hetu Esthal Mapdand) Niyamawali, 2012*		5	83-86

81293
14-6-21

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

****

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT – SANT KABIR NAGAR)

M/s S.N. Brick Field (old name- M/s Rai Brick Field)

Through its Proprietor

Sri Sunil Kumar Rai Son of Brij Narayan Rai

Resident of Village Jangal Belhar, Post Belhar Kalan, Police Station- Bakhira, Tehsil Mehdaul, District Sant Kabir Nagar.

............**Petitioner**

VERSUS

1. State of U.P. through its Principal Secretary, Revenue, Lucknow .

2. Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow Through its Secretary/Chairman.

3. Regional Officer, Regional Office U.P. Pollution Control Board, Basti.

4. Chief Conservator of Forest East Region U.P. Gorakhpur.

5. Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Sant Kabir Nagar.

6. Manmohan Sharma Son of Ghanshyam

Resident of Village Jangal Belhar, Post Belhar Kalan, Police Station- Bakhira, Tehsil Mehdaul, District Sant Kabri Nagar

...............**Respondents**

To,

The Hon'ble The Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid Court.

The humble application of the above named petitioner most respectfully showeth as under:-

1. That this is the first writ petition by means of which, the petitioners are seeking to challenge the legality, validity and otherwise of the identically worded but separate *orders* 19.5.2021 bearing Ref. No. 58/C-192 /Water/Air/ Santkabir Nagar /2021 and bearing Ref. No. 57/C-192 /Water/Air/Santkabir Nagar/2021 passed by Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board *whereby and whereunder order dated 10.6.2020 granting no objection certificate qua water and air pollution has been recalled and petitioner has further been interdicted from running the brick kiln until partition between the petitioner on the one hand and forest department on the other hand is made, on irrelevant and extraneous consideration.* It is clearly and categorically stated that this is the first and only writ petition being filed by the petitioners on the

forthwith the petitioner would suffer irreparable loss and injury which cannot be compensated in terms of money. It is, therefore, expedient in the interest of justice that identically worded separate impugned orders dated 19.5.2021 bearing Ref. No. 58/C-192 /Water/Air/Santkabir Nagar/2021 and bearing Ref. No. 57/C-192 /Water/Air/Santkabir Nagar/2021 (Annexure No.25) passed by Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board may remain stayed. Further respondents may be interdicted from interfering into peaceful running of the brick-kiln, during the pendency of the writ petition, otherwise the petitioner shall suffer irreparable loss and injury..

55. That petitioner is advised to state that he has no other alternative and efficacious remedy than to approach this Hon'ble High Court in its extra ordinary jurisdiction under Article 226 of Constitution of India on following amongst other grounds.

GROUNDS

(a) Because section 21 of the *Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981* provides that no person shall, without previous consent of the State board established or operation any industrial plant in any Ari pollution control

area. Said section which is germane to the controversy is being reproduced below :-

21. Restrictions on use of certain industrial plants

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area:

Provided that a person operating any industrial plant in any air pollution control area immediately before the commencement of section 9 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1987 (47 of 1987), for which no consent was necessary prior to such commencement, may continue to do so for a period of three months from such commencement or, if he has made an application for such consent within the said period of three months, till the disposal of such application.]

(2) An application for consent of the State Board under sub-section (1) shall be accompanied by such fees as may be prescribed and shall be made in the prescribed form and shall contain the particulars of the industrial plant and such other particulars as may be prescribed:

Provided that where any person, immediately before the declaration of any area as an air pollution control area, operates in such area any industrial plant, such person shall make the application under this sub-section within such period (being not less than three months from the date of such declaration) as may be prescribed and where such person makes such application, he shall be deemed to be operating such industrial plant with the consent of the State Board until the consent applied for has been refused.

(3) The State Board may make such inquiry as it may deem fit in respect of the application for consent referred to in sub-section (1) and in making any such inquiry, shall follow such procedure as may be prescribed.

(4) Within a period of four months after the receipt of the application for consent referred to in sub-section (1), the State Board shall, by order in writing,[17] [and for reasons to be recorded in the order, grant the consent applied for subject to such conditions and for such period as may be specified in the order, or refuse such consent:]

[Provided that it shall be open to the State Board to cancel such consent before the expiry of the period for which it is granted or refuse further consent after such expiry if the conditions subject to which such consent has been granted are not fulfilled:

Provided further that before cancelling a consent or refusing a further consent under the first proviso, a reasonable opportunity of being heard shall be given to the person concerned.]

(5) Every person to whom consent has been granted by the State Board under sub-section (4), shall comply with the following conditions, namely:—

(i) the control equipment of such specifications as the State Board may approve in this behalf shall be installed and operated in the premises where the industry is carried on or proposed to be carried on;

(ii) the existing control equipment, if any, shall be altered or replaced in accordance with the directions of the State Board;

(iii) the control equipment referred to in clause (i) or clause (ii) shall be kept at all times in good running condition;

(iv) chimney, wherever necessary, of such specifications as the State Board may approve in this behalf shall be erected or re-erected in such premises;

(v) such other conditions as the State Board may specify in this behalf; and

(vi) the conditions referred to in clauses (i), (ii) and (iv) shall be complied with within such period as the State Board may specify in this behalf:

Provided that in the case of a person operating any industrial plant in an air pollution control area immediately before the date of declaration of such area as an air pollution control area, the period so specified shall not be less than six months: Provided further that—

(d) after the installation of any control equipment in accordance with the specifications under clause (i), or

(e) after the alteration or replacement of any control equipment in accordance with the directions of the State Board under clause (ii), or

(f) after the erection or re-erection of any chimney under clause (iv), no control equipment or chimney shall be altered or replaced or, as the case may be, erected or re-erected except with the previous approval of the State Board.

(6) If due to any technological improvement or otherwise the State Board is of opinion that all or any of the conditions referred in to sub-section (5) require or requires variation (including the change of any control equipment, either in whole or in part), the State Board shall, after giving the person to whom consent has been granted an opportunity of being heard, vary all or any of such conditions and thereupon such person shall be bound to comply with the conditions as so varied.

(7) Where a person to whom consent has been granted by the State Board under sub-section (4) transfers his interest in the industry to any other person, such consent shall be deemed to have been granted to such other person and he shall be bound to comply with all the conditions subject to which it was granted as if the consent was granted to him originally.

(b) Because sub section 4 of the section 21 contains a proviso which provides that State board can cancel the consent before the expiry of the period for which it was granted or refuse further consent after such expiry if condition subject to which such consent has been granted are not fulfilled. It is categorically stated that the petitioner did not violate any of the conditions contained in the consent order. The petitioner had also not obtained the consent order by

making misrepresentation or playing fraud, therefore the Regional Officer U.P. Pollution Control Board was not justified in reviewing its order and recalling the consent.

(c) Because section 25 of the *Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (as amended)* imposes a restriction on establishment of industrial unit without obtaining permission from the Board. Section 25 which is germane to the controversy is being reproduced below:-

25. Restrictions on new outlets and new discharges

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board—

(a) establish or take any steps to establish any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land (such discharge being hereafter in this section referred to as discharge of sewage); or

(b) bring into use any new or altered outlet for the discharge of sewage; or

(c) begin to make any new discharge of sewage:

Provided that a person in the process of taking any steps to establish any industry, operation or process immediately before the commencement of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988, for which no consent was necessary prior to such commencement, may continue to do so for a period of three months from such commencement or, if he has made an application for such consent, within the said period of three months, till the disposal of such application.

(2) An application for consent of the State Board under sub-section (1) shall be made in such form, contain such particulars and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) *The State Board may make such inquiry as it may deem fit in respect of the application for consent referred to in sub-section (1) and in making any such inquiry shall follow such procedure as may be prescribed. 2[(4) The State Board may—*

(a) *grant its consent referred to in sub-section (1), subject to such conditions as it may impose, being—*

(i) in cases referred to in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 25, conditions as to the point of discharge of sewage or as to the use of that outlet or any other outlet for discharge of sewage;

(ii) in the case of a new discharge, conditions as to the nature and composition, temperature, volume or rate of discharge of the effluent from the land or premises from which the discharge or new discharge is to be made; and

(iii) that the consent will be valid only for such period as may be specified in the order, and any such conditions imposed shall be binding on any person establishing or taking any steps to establish any industry, operation or process, or treatment and disposal system of extension or addition thereto, or using the new or altered outlet, or discharging the effluent from the land or premises aforesaid; or

(iv) refuse such consent for reasons to be recorded in writing.

(5) *Where, without the consent of the State Board, any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, is established, or any steps for such establishment have been taken or a new or altered outlet is brought into use for the discharge of sewage or a new discharge of sewage is made, the State Board may serve on the person who has established or taken steps to establish any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, or using the outlet, or making the discharge, as the case may be, a notice imposing any such conditions as it might have imposed on an application for its consent in respect of such establishment, such outlet or discharge.*

(6) *Every State Board shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under this section and so much of the register as relates to any outlet, or to any effluent, from any land or premises shall be open to inspection at all reasonable hours by any person interested in, or affected by such outlet, land or premises, as the case may be, or by any person authorised by him in this behalf and the conditions so contained in such register shall be conclusive proof that the consent was granted subject to such conditions.]*

(7) *The consent referred to in sub-section (1) shall, unless given or refused earlier, be deemed to have been given unconditionally on the expiry of a period of four months of the making of an application in this behalf complete in all respects to the State Board.*

(8) *For the purposes of this section and sections 27 and 30,—*

(a) the expression "new or altered outlet" means any outlet which is wholly or partly constructed on or after the commencement of this Act or which (whether so constructed or not) is substantially altered after such commencement;

(b) the expression "new discharge" means a discharge which is not, as respects the nature and composition, temperature, volume, and rate of discharge of the effluent substantially a continuation of a discharge made within the preceding twelve months (whether by the same or a different outlet), so however that a discharge which is in other respects a continuation of previous discharge made as aforesaid shall not be deemed to be a new discharge by reason of any reduction of the temperature or volume or rate of discharge of the effluent as compared with the previous discharge.

(d) *Because Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (as amended)* does not confer any power to the Regional Officer to review its order and recall the consent. It is stated at the risk of repetition that the petitioner had not obtained the consent by making misrepresentation or playing fraud, therefore the Regional Officer U.P. Pollution Control Board was not justified in reviewing its order.

(e) *Because* admittedly the petitioner granted two separate consent order by the competent authority. The petitioner had not violated any of the conditions. The complaint made by respondent no.6 is that the petitioner has established brick kiln by making encroachment over the land belonging to Forest department. The scope of enquiry was very limited i.e. whether the brick kiln has been established on a land belonging to the proprietor or over the land belonging to forest department. In order to prove that brick kiln has been established on a private land belonging to proprietor the petitioner had filed revenue entries. There were various reports also on the record to prove that forest land is about 700 meter away from the petitioner's brick kiln. The various reports and revenues entries filed by the petitioner which were on the record before the regional officers stand testimony of the facts that there are several sub divisions of the plot no. 1422 and plot bearing No.1422/11 Area 1.213 hect. is 700 meter away from the petitioner's plot over which brick kiln is established.

(f) *Because* the Regional Officer has wrongly observed that the petitioner had not obtained permission from the forest department. The said observation is factually incorrect in as much as the forest department had granted permission vide order dated 7.2.2018 (Annexure No.10). The copy of the said letter was before the Regional Officer but he has

not considered the same. Acting in complete automaton, the Regional Officer U.P. Pollution Control Board issued impugned order in cursory manner without looking into the record. The matter deemed serious consideration but the attitude of Regional Officer was very callous to such serious matter.

(g) Because the Collector is custodian of the revenue record. It is duty of the Collector to maintain the revenue record i.e. Khasra, Khatauni and map which is free from error and that the revenue records do not suffer from any inaccuracy. Paragraph 56 and 57 of the U.P. Land Record Manual provides that when a field/plot found to have been divided into two or more portions, the Lekhpal shall give a separate number to each portion. In the case in hand the Lekhpal had assigned separate number to each sub division but said sub divisions have not been shown in the map i.e. the map was not corrected. It is duty of the revenue department to correct the map and if the map has not been corrected the petitioner cannot be made to suffer on account of inaccuracy of map.

(h) Because plot no. 2214 on a partal made by the Lekhpal was found to have several sub divisions and separate number was assigned but due to cavalier or lackadaisical attitude of the revenue authorities map was not corrected. Now it was not open for the respondents to take advantage

of the same and raise an artificial dispute regarding the exact location of the brick kiln.

(i) Because the plot no. 2214 has several sub divisions and each sub division has been assigned separate number. There is no title or boundary dispute between the co-owners as every co-owner is continuing in possession over his respective Area. The forest department is also not raising any dispute. It is respondent no.6, who has no right or interest, has raised an artificial dispute on the ground that map does not contain sub divisions of plot no. 2214. The total circumstances taken into account lead only one conclusion the dispute raised by the respondent no.6 qua exact location of brick kiln is artificial and has not legs to stand. It was only *ipse–dixi* of the respondent no.6 not substantiated by any evidence. Despite notice having been served the respondent no.6 had not turned up of before the authority to file any evidence to prove that brick kiln has been established on a land belonging to forest department.

(j) Because the village was brought under consolidation operation by means of notification dated 25.2.2009 issued under Section 4 of the Act. Even statement of the principle had not been prepared and objection has not been invited though more than 12 years have passed. The land in dispute being a brick kiln does not fall within the definition of land, therefore it will not be within the ambit of

consolidation authorities to adjudicate the any controversy qua said plot.

(k) Because in basic year khatauni, if several co-owners are found recorded, by virtue of provisions contained under section 9 (C) of the U.P.C.H. Act, it is obligatory upon the Revenue Authorities to effect the partition amongst recorded co-owners in case in land in dispute is included in provisional consolidation scheme. The recorded tenure holder are not obliged to file any objection qua partition or correction of the map and it is duty of the consolidation authorities by virtue of provisions contained under section 9(C) of the U.P.C.H. Act to effect partition and prepare final record accordingly. The respondents have acted illegally with material irregularity in asking the petitioner to seek partition. The respondents were not justified in the facts and circumstances of the case to stop the operation of brick kiln on the ground that sub plots of plot no. 2214 has not been shown in the map when the boundary every sub plot exists on the spot.

(l) Because Manmohan who has no right or interest in the land in dispute has no locus stand to raise any dispute much less boundary dispute.

(m) Because the impugned order is riddled with many errors - such as the impugned order has been issued in complete

automation without looking into the various report, permission of the forest department and revenue entries. None consideration of the said document has resulted into failure of justice.

(n) Because the forest department has granted permission to run a brick kiln vide order dated 7.2.2018 (Annexure No.10). Had the brick kiln been established on forest' land, the forest department would not have granted permission. At any rate even assuming that there was dispute qua ownership or boundary it was only forest department who could have raised such dispute and that the respondent no.6 having no right or interest in plot no. 2214 could not have raised an artificial dispute.

(o) Because the partition of the holding can be sought by filing a suit under Section 116 of U.P. Revenue Code. Rule 109 provides that in making partition plots which are in separate possession of tenure holders shall, as far as possible, be allotted to such tenure holder if they are not in excess of his share. It is also provides in said rules that if co-tenure holders are in separate possession on the basis of mutual consent, the 'Kurra' shall, as far as possible, be fixed accordingly. Since the village is under consolidation operation the same principle shall apply when partition is effected by the consolidation authorities under section 9(C) of the U.P.C.H. Act. In this view of the matter the operation

of brick kiln could not have been stopped. There being no title dispute, or boundaries dispute between recorded tenants the authority was not justified in stopping operation of brick kiln on the ground that there is no partition in the map when co-owners have not raised any dispute i.e. either title or boundary dispute.

(p) Because Regional Officer, U.P. Pollution Control Board has misread misinterpreted and misapplied the judgment passed by the National Green Tribunal Principal Bench New Delhi . It appears that competent authority did not comprehend the import of the order issued by the National Green Tribunal Principal Bench New Delhi and without understanding or comprehending the order issued by National Green Tribunal Principal Bench New Delhi the impugned order has been issued which besides being illegal arbitrary is without any vestige of fairness.

(q) Because each sub division of plot no. 2214 has been assigned separate number and are recorded in separate khata, there for too possible there cannot be any boundary dispute as raised by respondent no.6 who admittedly has not right or interest in any of the sub division of plot no. 2214. Respondent no.6, in the facts and circumstances of the case deserves to be saddled with exemplary cost for having misused the process.

PRAYER

It is, therefore, **Most Respectfully Prayed** that this Hon'ble Court may be pleased to:-

i. issue a writ, order or direction in the nature of certiorari calling for record and quash the identically worded separate impugned orders dated 19.5.2021 bearing Ref. No. 58/C-192 /Water/Air/Santkabir Nagar/2021 and bearing Ref. No. 57/C-192 /Water/Air/Santkabir Nagar/2021 (Annexure No.25) passed by Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board.

ii. Issue a writ order or direction in the nature of interdicting the respondents from interfering into peaceful running of the brick-kiln.

iii. issue any other suitable writ, order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.

iv. award the heavy cost of the present writ petition to the petitioner.

Date..../..../2021

(RITUVENDRA SINGH)
Adv. Roll No. A/R-0556/20
E.No.(D/3421/09)
Bar Council Registration No. UP-4974/19
Counsel for the petitioner
Ch. No.41, High Court, Alld.
Mob. No. : **9984846906**

(RAM PARVESH YADAV)
Adv. Roll No. A/S-1605/2012
E. No. 2099/2004
Counsels for the petitioner
High Court, Alld.
Mob. No. 9919002047

(SWATANTRA KUMAR RAI)
Adv. Roll No. A/S-1476/2017
Counsels for the petitioner
High Court, Alld.

Note:- Shri R.C. Singh, Senior Advocate, has consented to appear and argue the case on behalf of the Petitioner. His name may also be shown in the cause list.